

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष नं. 2712376

Email ID- smsa.asfe@gmail.com

क्रमांक : समसा/जय/AS/2018-19/10/06

दिनांक : 31/1/19

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषय:- कक्षा 1-8 की ट्रांसपोर्ट वाउचर की बचत राशि के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कक्षा 1-8 की ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के पात्र विद्यार्थियों की माह अप्रैल, 2018 से जून, 2018 तक एवं माह जुलाई, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक की राशि जिलों को परिषद से हस्तान्तरित की गयी थी। माह जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 तक की अन्तिम तिमाही की कक्षा 1-8 के पात्र विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि परिषद द्वारा जिलों को आवंटित की जानी है।

माह अप्रैल, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक की ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि में से उपयोग पश्चात् बचत होने वाली राशि की सूचना सीबीईओ से प्राप्त कर परिषद कार्यालय को दिनांक 10.01.2019 तक उपलब्ध करावें। सीबीईओ प्रपत्र-1 में विद्यालयों से सूचना प्राप्त करें एवं सूचना संकलित कर ब्लॉक की कुल बचत राशि एडीपीसी कार्यालय को उपलब्ध करावें। एडीपीसी कार्यालय परिषद को प्रपत्र-2 में ई-मेल आई.डी. smsa.asfe@gmail.com पर उक्त सूचना प्रेषित करें। बचत राशि की सूचना प्राप्त होने के पश्चात ही आपके जिले को माह जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 तक की ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि आवंटित की जा सकेगी।

प्रपत्र-1

सीबीईओ कार्यालय द्वारा विद्यालयवार ट्रांसपोर्ट वाउचर (कक्षा 1-8) की बचत राशि की सूचना प्राप्त करने का


क्र.स.	ब्लॉक का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार (प्रा/उप्रा/मा//उमा)	दिसम्बर, 2018 तक विद्यालय में उपयोग पश्चात बचत होने वाली राशि

प्रपत्र-2

एडीपीसी कार्यालय से परिषद को ट्रांसपोर्ट वाउचर (कक्षा 1-8) की बचत राशि की सूचना भेजने का

क्र.स.	जिले का नाम	दिसम्बर, 2018 तक की ट्रांसपोर्ट वाउचर की बचत राशि

www.rajteachers.com



(रक्षा पारीक)


उपायुक्त-VII

दिनांक : 31/1/19

क्रमांक : समसा/जय/AS/2018-19/10/06

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक- II, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
3. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिलों को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4. रक्षित पत्रावली।



उपनिदेशक
(वै०शि० / औ०शि०)